न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 87 / 2022 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2022/92)
पंजीयन दिनांक– 09 / 11 / 2022
निर्णय दिनांक– 13 / 04 / 2026

1. श्री श्यामलाल पिता स्व. गोटु गाडरी, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री लादू पिता स्व. गोपी गाडरी, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. भेरी पिता स्व. गोपी गाडरी, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती जमनी पत्नि स्व. गोपी गाडरी, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री शंभू पिता स्व. रतन गाडरी, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
5. भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1.	श्री संजय सेन	:	अधिवक्ता अपीलांट
2.	श्री जयप्रकाश आमेटा	:	अधि. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 **(बवक्त बहस अनुपस्थित)**
3.	श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	:	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या–72/2020 निर्णय दिनांक 11.10.2021

निर्णय

दिनांक 13.04.2026

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 72/2020 निर्णय दिनांक 11.10.2021 के विरूद्ध दिनांक 09.11.2022 को प्रार्थना पत्र धारा 05 मयाद अधिनियम मय शपथ के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा, पटवार हल्का नारेला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में हमारे खाते आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 83 पुराना 78 खसरा संख्या 119 कुल किता 1 कुल रकबा 0.41 हैक्टेयर स्थित है, जिसकी पत्थरगढ़ी करवाई जावें। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालयल सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 72/2020 निर्णय दिनांक 11.10.2021 से रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.10.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *''अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम लक्ष्मीपुरा, पटवार हल्का नारेला स्थित आराजी नम्बर 119 रकबा 0.41 हैक्टेयर भूमि बिना किसी के कब्जे में दखलअंदाजी किए सेटलमेंट नक्शें अनुसार पत्थरगढ़ी किऐ जाने के आदेश दिये जाते*

है। शुल्क 500/– रूपये अक्षरे पांच सो रूपये प्रार्थीगण वहन करेंगें। पालनार्थ तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारन को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जावें एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश आमेट बवक्त बहस अनुपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री मुरलीधर पालीवाल उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 09.04.2026 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी संख्या 120 से लगती हुई रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 की आराजी संख्या 118 व 119 के पश्चिम दिशा में 18 मीटर भूमि पर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पुलिस थाना, चंदेरिया की मौजूदगी में पर्चा मौका बनाया गया उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि विवादित आराजी नम्बर 118 एवं 119 के कुछ भाग पर अपीलांट काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है तथा मौके पर पीलर लगाकर तारबंदी व झालियां लगी हुई है एवं मौके पर गेंहू की फसल बौ रखी है। विवादित आराजीयात के संबंध में रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा पुलिस थाना, चंदेरिया में एक रिपोर्ट दिनांक 07.05.2020 को प्रस्तुत की, जिसे बाद अनुसंधान एफ. आई. आर. नम्बर 108/2020 अंतर्गत धारा 447, 506/34 आई. पी. सी. में दर्ज की गई एवं चार्जशीट संख्या 109/2020 सरकार बनाम पीन्टु कुमार माननीय ग्राम न्यायालय, चित्तौड़गढ़ में पेश की जिसमें भी कब्जा अपीलांट का होना प्रमाणित माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व

केम्प नारेला में विवादित आदेश पारित किया, जबकि वहां पर अपीलांट की किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं थी, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। उक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5 राजकीय अभिभाष श्री मुरलीधर पालीवान ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 11.10.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील गुणावगुण पर निर्णय किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील मयाद बाहर पेश की है। मयाद उपशमन हेतु अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा–5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों, अपील पर मनन करने एवं शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा–5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि वर्तमान अपील के रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा, पटवार हल्का नारेला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में हमारे खाते आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 83 पुराना 78 खसरा संख्या 119 कुल किता 1 कुल रकबा 0.41 हैक्टेयर स्थित है, जिसकी पत्थरगढ़ी करवाई जावें। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालयल सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 72/2020 निर्णय दिनांक 11.10.2021 से रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 3 का प्रार्थना

पत्र स्वीकार किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

उक्त प्रकरण में अपीलांट का प्रमुख उज्र रहा है कि विवादित आराजीयात के संबंध में रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा पुलिस थाना, चंदेरिया में एक रिपोर्ट दिनांक 07.05.2020 को प्रस्तुत की, जिसे बाद अनुसंधान एफ. आई. आर. नम्बर 108/2020 अंतर्गत धारा 447, 506/34 आई. पी. सी. में दर्ज की गई एवं चार्जशीट संख्या 109/2020 सरकार बनाम पीन्टु कुमार माननीय ग्राम न्यायालय, चित्तौड़गढ़ में पेश की जिसमें भी कब्जा अपीलांट का होना प्रमाणित माना है। अपीलांट का यह उज्र माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली में विवादित आराजीयात पर अपीलांट के कब्जे एवं अन्य वर्णित तथ्यों संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तथा नही अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये है।

अपीलांट द्वारा एक अन्य उज्र यह प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की प्रोपर तामिली कार्यवाही नहीं की गई एवं न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया। उक्त आक्षेपों का न्यायालय हाजा द्वारा परिक्षण किया। हस्तगत प्रकरण में यदि यह मान भी लिया जावें कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश की कार्यवाही में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, तो भी अपीलांट को इस न्यायालय द्वारा जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की समस्त शक्तियां निहित है, सुनवाई का एवं गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने का समुचित अवसर दिया गया, परन्तु अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विनिश्चय के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अर्थात अपीलांट गुणावगुण पर अपने कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है।

उपलब्ध दस्तावेज ग्राम लक्ष्मीपुरा की जमाबंदी संवत् 2073–2076 अनुसार आराजी नम्बर 119 रकबा 0.41 हैक्टेयर

रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है व आराजी नम्बर 120 अपीलांट के नाम अपील मेमों अनुसार दर्ज रिकार्ड होकर भूमियां पृथक–पृथक पक्षकारान के नाम पर अंकित हैं। राजस्व नियमावली में प्रावधित किया गया है कि किसी भी खातेदार को अपनी भूमि हेतु सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी कराने के अधिकार है, जो निहित प्रक्रिया अपनाई जाकर वांछित कार्यवाही कराई जा सकती है। इस हेतु समस्त प्रभावित पक्षकारान को भी सुना जाकर नियमानुसार निर्णय किया जाना अपेक्षित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के सीमा ज्ञान/पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्तुत आवेदन पर बाद जांच एवं राजस्व अभिलेखों के पूर्ण परिक्षण एवं प्रस्तुत बहस पर मनन उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा एक तार्किक एवं विधि सम्मत निर्णय दिनांक 11.10.2021 पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाता है।

परिणामतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है और तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2021 को यथावत रखा जाता है। यह निर्णय किसी भी न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में कोई वाद/प्रकरण लम्बित हो तो उसमें पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगा। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर